उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या 53 /XVII(4)/2013/5(17)/13
देहरादूनः दिनांक 15 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0), स्कीम के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन को मिशन मोड में अनुमोदित किया गया है। आई0सी0डी0एस0 स्कीम में 06 वर्ष तक के आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की स्वास्थ्य, पोषण एवं विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से छः सेवाएं प्रदान की जाती है जिन्हे मिशन के अन्तर्गत नये रूप में परिभाषित किया गया है। सृदृढ़ीकृत एवं पुनगर्ठित आई0सी0डी0एस0 में 06 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के प्रारम्भिक विकास तथा अधिगम परिणामों में वृद्धि करने, किशोरियों एवं महिलाओं की देखरेख एवं पोषणस्तर में सुधार और 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

2–**मिशन के उददेश्यः–**

मिशन मोड में आई0सी0डी0एस0 का उद्देश्य उन व्यवस्थात्मक, संस्थागत एवं कार्यक्रमात्मक कमियों को दूर करते हुये आई0सी0डी0एस0 में बदलाव, बेहतर दक्षता एवं और अधिक जवाबदेही हेतु मापनीय योग्य निष्कर्षो के साथ लचीली कार्यान्वयन अवसंरचना के साथ विकेन्द्रीकृत कार्यक्रम लाने के लिए किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों को पंचायती राज संस्थाओं, समुदायों तथा सिविल समाज का समर्थन एवं भागीदारी के साथ ग्राम स्तरीय संस्था के रूप में सुदृढ़ करने और आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्वास्थ्य, पोषण एवं प्रारम्भिक शिक्षा हेतु ग्राम के आउटपोस्ट का रूप देने हेतु बालोनुकूल प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास केन्द्र के रूप में पुनः स्थापित करने पर बल दिया जाएगा।

- आवश्यक सेवाओं को संस्थागत स्वरूप प्रदान करते हुये समस्त स्तरों पर ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्वास्थ्य, पोषण एवं प्रारम्भिक शिक्षा के प्रथम केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु उसे बालोनुकूल प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास केन्द्र के रूप में पुनः स्थापित करना।
- प्रारम्भिक बाल देखभाल एवं बालोनुकूल वातावरण के निर्माण हेतु 03 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर विशेष बल देना।
- सेवाओं की गुणवत्ता हेतु समस्त स्तरो पर कार्मिकों, जनसमुदायों आदि की क्षमताओं का विकास करना।
- योजनाओं के निर्माण, कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समस्त स्तरों पर प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना।

- बाल एवं मातृ देखभाल, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा पर जनसमुदाय में जागरुकता तथा प्रतिभागिता सुनिश्चत करना।
- बाल विकास सेवाओ हेतु आधारभूत आकड़ो एवं ज्ञान का संचय करना।

3– <u>लक्ष्य</u> :–

मिशन अवसंरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मिशन के समयबद्ध लक्ष्य एवं निष्कर्षो, जो निम्नानुसार है, की प्रगति मे विलम्ब न हो :–

- छोटे बच्चों में अल्प पोषण (0–3 वर्ष के अल्पवजनी बच्चों के प्रतिश) का निवारण और उसमे 10 प्रतिशत तक की कमी लाना।
- 0–6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में प्रारम्भिक विकास तथा अधिगम निष्कर्षो में वृद्धि करना।
- लड़कियों एवं महिलाओं की देखरेख एवं पोषण मे सुधार करना और छोटे बच्चों, लड़कियां एवं महिलाओं में रक्ताल्पता में 20 प्रतिशत तक कमी लाना।

4– मिशन के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के साथ प्रभावी संकेन्द्रण करके समन्वित प्रयास द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति पर बल दिया गया है। स्वास्थ्य के साथ संकेन्द्रण द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म के समय अल्पवजन की घटनाओं मे कमी लाने, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ सकेन्द्रण से किशोरियों की बेहतर देखरेख एवं प्रबन्धन तथा शिक्षा विभाग के साथ संकेन्द्रण द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में और अधिक नामांकन, आदि लक्ष्यो का प्राप्त किया जायेगा।

5– भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में आई0सी0डी0एस0 मिशन के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार, राज्य आई0सी0डी0एस0 मिशन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा :–

1.	मा0 मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3	मा0 मंत्री शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार	सदस्य
4.	मा0 मंत्री, वित्त, उत्तराखण्ड सरकार	सदस्य
5.	मा0 मंत्री, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड सरकार	सदस्य
6.	मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड सरकार	सदस्य
7.	मा0 मंत्री, पंचायती राज, उत्तराखण्ड सरकार	सदस्य
8.	मा0 मंत्री, पेयजल, उत्तराखण्ड सरकार	सदस्य
9.	मा0 मंत्री, शहरी विकास, उत्तराखण्ड सरकार	सदस्य
10.	मा0 मंत्री, समाजकल्याण, उत्तराखण्ड सरकार	सदस्य
11.	मा0 मंत्री, नियांजन, उत्तराखण्ड सरकार,	सदस्य
12.	मा0 मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के द्वारा नामित 05 जन प्रतिनिधि,	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य सचिव/ संयोजक

14.	शासकीय प्रतिनिधि : सहयोगी विभागों के प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य
15.	मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के परामर्शानुसार, प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित 02 जिलाधिकारी,	सदस्य
16.	मा0 मंत्री महिला एवं बाल विकास के परामर्शानुसार, प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखण्ड शासन द्वारा, नामित 05 बाल विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रारम्भिक बालदेखभाल क्षेत्र के विशेषज्ञ,	सदस्य

उक्त राज्य आई0सी0डी0एस0 मिशन प्राधिकरण द्वारा मिशन के अन्तर्गत कियान्वित की जानी वाली योजनाओ एवं गतिविधियों का अनुश्रवण किया जायेगा। मिशन प्राधिकारण, अन्तर्विभागीय समन्वय की भी समीक्षा करेगी।

राज्य मिशन की प्राधिकरण की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य मिशन संचालक समूह (State Mission Steering Group) एवं अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (State Empowered Programme Committee) एवं मिशन निदेशालय का गठित की जायेगी।

6– राज्य मिशन संचालन समूह आई0सी0डी0एस0 के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देशों की नीति बनाने एवं मार्गदर्शन हेतु सर्वोच्च निकाय राज्य मिशन संचालक समूह (State Mission Steering Group) होगा। इस समूह की संरचना निम्नानुसार की जाती है:–

1.	माननीय मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, महिला सशकितकरण एवं बाल विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	संयोजक/सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
11.	निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।	सदस्य
12.	04 अशासकीय सदस्य जो बाल विकास, पोषण एवं स्वास्थ्य, प्रारम्भिक शिक्षा में विशेषज्ञ नामित किये जायेगे	सदस्य

सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञों (4) का कार्यकाल दो वर्षो का होगा और वे प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित किये जायेगे तथा सरकार द्वारा पुनःनामित होने के लिए पात्र होंगे।

7.– राज्य मिशन संचालन समूह छह माह में कम से कम एक बैठक करेगा और निम्नलिखित कार्यो के लिए उत्तरदायी होगा :–

- आई0सी0डी0एस0 स्कीम हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का अनुमोदन करना।
- विभिन्न विभागों के बीच नीतियों एवं प्रशासन का कारगर संकेन्द्रण सुनिश्चित करना।
- नीतियों एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन की निगरानी के बारे में आई0सी0डी0एस0 मिशन की अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को परामर्श देना।
- निष्कर्षो की समीक्षा करना तथा मध्यावधि सुधार सुझाना, जिनकी नीति निरूपण में आवश्यकता हो।
- प्रस्तावों एवं स्कीमों से सम्बन्धित अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की सिफारिशों का मूल्याकंन करना तथा व्यापक मानकीय ढांचा के आधार पर उनका अनुमोदन करना।
- आई0सी0डी0एस0 मिशन के अन्तर्गत गतिविधियों को चलाने के लिए विशेषज्ञों को किराए पर तथा कर्मियों को संविदा के आधार पर लेने के संम्बन्ध में अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन करना।
- आई0सी0डी0एस0 मिशन के कारगर क्रियान्वयन हेतु प्रचालानात्मक क्रियाविधि में समय–समय पर ऐसे संशोधन करना जो जरूरी हो।
- इस स्कीम के लक्ष्य समूह को प्रभावित करने वाली नीति से सम्बन्धित कोई अन्य विषय।

8– मिशन मोड में आई0सी0डी0एस0 में एक अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति होगी जो आई0सी0डी0एस0 मिशन के कारगर क्रियान्वयन की आयोजना, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण हेतु सर्वोच्च तकनीकी निकाय होगी। अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की रचना निम्नानुसार की जाती है:–

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य

6.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य
10.	मिशन निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड,	सदस्य सचिव
11.	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड	सदस्य
12.	मिशन निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड	सदस्य

9– अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष, समिति के कार्य में उसकी सहायता करने के लिए अन्य सदस्यों को सहयोजित करेंगे अथवा समिति की बैठकों में ऐसे व्यक्तियों को, जैसा भी आवश्यक समझा जाए, विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में आमंत्रित करेंगे। कारगर कार्यकरण हेतु अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में पहले से ही प्रदत्त शक्तियों की तर्ज पर सशक्त बनाया जाएगा। अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक करेंगी तथा निम्नलिखित कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगी:

- उल्लिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिशन की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का नियोजन एवं अनुश्रवण।
- नियमों एवं प्रक्रियाओं का प्रस्ताव तैयार कर, अनुमोदन हेतु राज्य मिशन संचालन समूह के समक्ष प्रस्तुत करना।
- मिशन की राज्य/जिला योजनाओं की योजना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण गतिविधियों में सहायता करना।
- आई0सी0डी0एस0 मिशन के कुल बजट के भीतर ही वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं के अनुमोदन के साथ–साथ स्कीमों/व्यय की मदों के अनुमोदित मानकों में संशोधन करना।
- पिछड़े जिलों के विश्लेषण के साथ–साथ मुख्य निष्कर्षों पर हुई प्रगति का पता लगाना तथा अपेक्षित कार्यवाई करना।
- राज्य मिशन संचालन समूह के अनुमोदन हेतु कार्यक्रमों, कर्मियों एवं बजट आदि के बारे में सिफारिशें करना।
- आई0सी0डी0एस0 स्कीम के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग करना।
- अनुमोदित व्यापक अवसंरचना के तहत योजनाओं का अनुमोदन करना।
- प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं मूल्यांकन सहित प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार, अनुश्रवण संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन करना।
- आई0सी0डी0एस0 मिशन के कारगर क्रियान्वयन हेतु प्रचालनात्मक क्रियाविधि में समय–समय पर ऐसे संशोधन करना जो जरूरी हो।

- राज्य मिशन एवं राज्य संचालन समूह द्वारा सौंपे गए कोई अन्य प्रासंगिक कार्य।

10– तात्कालिक निर्णयों के मामलें में, जब राज्य मिशन संचालन समूह/अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की बैठक आयोजित नहीं हो सकती है, वित्तीय प्रतिबद्धताओं से सम्बन्धित मामलों मे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, के प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग के परामर्श से राज्य मिशन संचालन समूह/अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति के सम्बन्धित अध्यक्ष राज्य मिशन संचालन समूह/अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति की शक्तियों का उपयोग करेंगे। राज्य मिशन संचालन समूह/अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को उनके निर्णय के बारे में आगामी बैठक में संपुष्टि हेतु सूचित किया जाएगा।

11– राज्य मिशन संचालन समूह/अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति द्वारा अधिदेशित कार्यो को करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में एक आई0सी0डी0एस0 मिशन निदेशालय स्थापित किया जाएगा। निदेशालय, आई0सी0डी0एस0 ही मिशन निदेशालय के रुप में कार्य करेगा। निदेशक, आई0सी0डी0एस0 ही राज्य आई0सी0डी0एस0 मिशन निदेशालय के अध्यक्ष होगे। आई0सी0डी0एस0 मिशन निदेशालय को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कारगर रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु राज्य मिशन संचालन समूह द्वारा यथा अनुमोदित उपयुक्त कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियों दी जाएगी, जो आई0सी0डी0एस0 मिशन के दिन–प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। राज्य मिशन निदेशालय की विशिष्ट भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल होगे:

- मिशन के कार्यकलापों की योजना बनाना, क्रियान्वित करना एवं अनुश्रवण करना।
- आई0सी0डी0एस0 स्कीम की योजना बनाना तथा कारगर क्रियान्वयन करना।
- पिछड़े एवं कुपोषण की अधिक व्याप्तता वाले जिलों के विश्लेषण के साथ–साथ मुख्य निष्कर्षो पर प्रगति का पता लगाना तथा अपेक्षित कार्यवाही करना।
- राज्य मिशन संचालन समूह/अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति द्वारा यथा अनुमोदित/प्रदत्त कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग करना।
- प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन, अनुसंधान, स्वतंत्र अध्ययनों में सहायता करना और यथा आवश्यक मध्यावधि सुधार सुनिश्चित करना।
- स्कीम के कारगर क्रियान्वयन के साथ–साथ आपूर्ति प्रबंधन, अवसंरचनात्मक सूचनाओं तथा अन्य संसाधनों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों के साथ कारगर समन्वय एवं संपर्क सुनिश्चित करना।
- राज्य मिशन संचालन समूह/अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति के अनुमोदन हेतु आई0सी0डी0एस0 मिशन के तहत योजनाओं का मूल्यांकन करना तथा उन पर कार्यवाही करना।
- आई0सी0डी0एस0 मिशन के निरूपित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से समर्थन एवं जनशिक्षा (सूचना, शिक्षा एवं संचार) सुनिश्चित करना।
- राज्य में आई0सी0डी0एस0 के कारगर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मानक एवं साधन विकसित करना।

- समय–समय पर कार्यक्रम का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन करना।
- राज्य आई0सी0डी0एस0 मिशन संसाधन केन्द्र, निपसिड एवं इसके क्षेत्रीय केन्द्रों, खाद्य एवं पोषण बोर्ड और राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय अन्य प्रासंगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता से कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को सुगम बनाना।
- राज्य आई0सी0डी0एस0 मिशन संसाधन केन्द्र के कार्यकरण का पर्यवेक्षण एवं उसकी समीक्षा करना।
- ऐसे किसी लम्बित मुद्दे पर जिसे हल किए जाने की अथवा राज्य मिशन संचालन समूह को रैफर किए जाने की जरूरत है, अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को नियमित फीडबैक प्रदान करना।
- राज्य मिशन संचालन समूह/अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति/महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 53 /XVII(4)/2013/5(17)2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2– निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री के अवलोकनार्थ।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4– सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
5– अवर सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6– निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
10– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
12– समस्त सदस्य समिति।
13– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव